अनिल क्षेत्रपाल के समक्ष**, ज.**

लाल चंद (मृतक के बाद से**) अपने एल. आर. एस.** के माध्यम से**-अपीलार्थी**

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादीगण

2018 का आरएसए No.4009

22 जनवरी, 2019

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956-धारा 8-पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम-"क्या अचल संपत्ति के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के संचालन के बाद, प्राप्तकर्ता संपत्ति को सह-भागीदार के रूप में या व्यक्तिगत मालिक के रूप में धारण करेंगे?"—हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, यदि संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की गई है, तो प्राप्तकर्ताओं के हाथों में संपत्ति पैतृक सह-आंशिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, यदि संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की गई है, तो प्राप्तकर्ताओं के हाथों में संपत्ति पैतृक सह-आंशिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है।अपीलार्थी के

विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे उस प्रभाव को निर्धारित करते हैं।

(पैरा 14) हरीश भारद्वाज, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए

2018 के आर. एस. ए. सं. 4009 में

सौरभ गिरधर, ए. ए. जी., हरियाणा।अक्षय जिंदल, अधिवक्ता

अपीलार्थियों के लिए

2018 के आर. एस. ए. सं. 6146 में उत्तरदाता Nos.5 से 10 2018 के . आर. एस. ए. सं. 4009 के लिए

अनिल क्षेत्रपाल, जे। (ORAL)(मौखिक)

2018 के आर. एस. ए. No.6146 में 2018 का सीएम No.17164-C

(1) आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, जो एक हलफनामे द्वारा विधिवत समर्थित है, वर्तमान अपील फिर से दायर करने में 36 दिनों की देरी

क्षमा की जाती है।(2) आवेदन की अनुमति है।

मुख्य

(3) इस निर्णय द्वारा, वादी और प्रतिवादियों द्वारा दायर 2018 की आर. एस. ए. संख्या 4009 और 6146 का निपटारा किया जाएगा।

(4) जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि "क्या अचल संपत्ति के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

की धारा 8 के संचालन के बाद, प्राप्तकर्ता संपत्ति को सह-भागीदार के रूप में या व्यक्तिगत मालिक के रूप में रखेंगे?".

(5) गंगा दत्त के पुत्र दिग राज का कोई पुत्र नहीं था ।उन्होंने संपत्ति को अपने असली भाई लाल चंद के पक्ष में पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 17.09.2008 के माध्यम से हस्तांतरित किया और कब्जा सौंप दिया गया।राजस्व अधिकारियों ने पंजीकृत विमोचन विलेख की अनदेखी करते हुए, दिग राज की बेटियों के पक्ष में परिवर्तन को मंजूरी दी, जिससे वादी को स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और साथ ही अधिकारियों को राजस्व रिकॉर्ड को सही करने और अद्यतन करने का निर्देश दिया गया।

(6) बेटियों ने यह दावा करते हुए मुकदमे का बचाव किया कि संपत्ति पैतृक थी और रिहाई विलेख अनुचित प्रभाव का परिणाम था।

(7) विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की सराहना पर पाया कि संपत्ति पैतृक है, इसलिए, वादी द्वारा दायर मुकदमे को आंशिक रूप से एक निष्कर्ष दर्ज करके घोषित किया गया था कि रिहाई विलेख दि ग राज के हिस्से के संबंध में मान्य है। अदालत ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि पूरी संपत्ति सह-स्वामित्व वाली है।

(8) दो अपीलों को प्राथमिकता दी गई। विद्वान पहली अपीलीय अदालत फर्स्ट ने सबूतों की पुनः सराहना के बाद पाया है कि दि ग राज ने अपने दादा खेम चंद से 1/40 वें हिस्से की सीमा तक संपत्ति प्राप्त की थी और इसलिए, शेष संपत्ति सह-सहभागी

साबित नहीं होती है।इसलिए, निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री को यह निर्देश देते हुए संशोधित किया गया कि रिहाई विलेख दिग राज के हिस्से की सीमा तक वैध है।

(9) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और उनकी सक्षम सहायता से नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और अभिलेख की छायाप्रति का अध्ययन किया है।

(10) अपीलार्थी (ओं) के विद्वान वकील ने कहा कि दिग राज के पिता गंगा दत्त की मृत्यु वर्ष 1964 में हुई थी और उनकी संपत्ति ।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पुरुष के साथ-साथ महिला कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकारी बनाया गया।उन्होंने कहा कि गंगा दत्त की मृत्यु पर उनकी संपत्ति 4 बेटियों, 5 बेटों और दिग राज सहित एक विधवा को हस्तांतरित कर दी गई।

(11) उन्होंने कमिश्नर आफॅ वैल्थ टैक्स, कानुपर और अन्य बनाम चन्द्र सेन और अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया है।

इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा युधिष्ठिर बनाम अशोक कुमार के मामले में निर्णय पारित किया गया और बाद में भंवर सिंह बनाम पूरन और अन्य के मामले में और हाल ही में उत्तम बनाम सौभाग सिंह के मामले में निर्णय दिया गया कि व्याख्या को देखते हुए, न्यायालय ने यह निष्कर्ष वापस करने में

गलती की कि 1/40 वें हिस्से की सीमा तक की संपत्ति पैतृक सह-आंशिक संपत्ति थी।

(12) दूसरी ओर, बेटियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा है कि चूंकि गंगा दत्त की सभी बेटियों ने संपत्ति प्राप्त करने के बाद बेटों (उनके भाइयों) को दी थी, इसलिए संपत्ति पैतृक सह-आंशिक संपत्ति थी।उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के संशोधन पर, बेटियाँ सह-भागीदार बन गई हैं और इसलिए, न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उस हद तक सही है।

(13) इस न्यायालय ने पक्षों के लिए विद्वान वकील की संबंधित दलीलों पर विचार किया है और नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अध्ययन किया है।

(14) अब तक, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, यदि संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की गई है, तो प्राप्तकर्ताओं के हाथों में संपत्ति पैतृक सह-आंशिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है।अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे उस प्रभाव को निर्धारित करते हैं।

(15) प्रत्यर्थी (ओं) के विद्वान वकील उपरोक्त निर्णयों के विपरीत किसी भी दृष्टिकोण की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके।(16) बेटियों के वकील ने इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों

के खिलाफ भी अपील दायर की है कि रिहाई विलेख धोखाधडी का परिणाम नहीं था।

2 (1987) 1 एससीसी 204 1. (1986) 3 एससीसी 567

3 (2008) 3 एससीसी 87 2. (1987) 1 एससीसी 204

3. (2008) 3 एससीसी 87

4. (2016) 4 एससीसी 68

हालाँकि, उपस्थित विद्वान वकील ने ईमानदारी से प्रयास किया, हालाँकि, किसी भी ठोस गलत पढ़ने या साक्ष्य को न पढ़ने के अभाव में, इस न्यायालय को तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष से भिन्न होने का कोई कारण नहीं मिलता है।

(17) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 2018 के आर. एस. ए. No.4009 की अनुमति है जबकि 2018 के आर. एस. ए. No.6146 को खारिज कर दिया जाएगा।

(18) नतीजतन, लाल चंद द्वारा दायर मुकदमे पर फैसला सुनाया जाएगा।

(19) उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित विविध आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

ऋतंभ्र ऋषि

अस्वीकरणः— स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग

नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक ओर अधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अगेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यालय के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

विक्रांत